न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 50/2020
प्रविष्टि दिनांक 2–3–2017

1–करणसिंह पुत्र भॅवर सिंह जाति राजपूत (राठोर) निवासी निमोला तहसील व जिला–टोंक
2–सप्यारबाई पुत्री भॅवर सिंह जाति राजपूत (राठोर) निवासी निमोला तहसील व जिला–टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–तहसीलदार टोंक जिला–टोंक
2–राजेन्द्र पिसरान भॅवरसिंह जाति राजपूत (नरूका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
3–पप्पूसिंह उर्फ भगवानसिंह पिसरान भॅवरसिंह जाति राजपूत (नरूका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
4–मुकुटसिंह पिसरान भॅवरसिंह जाति राजपूत (नरूका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
5–लालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरूका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
6–सोनू पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरूका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
7–वंदना पुत्री, उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरूका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक
8–विमलाकंवर पत्नि उम्मेदसिंह जाति राजपूत (नरूका) निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 विरूद्व नामान्तरकरण सं0 1261 दिनांक 26–1–2013 वाके ग्राम इस्लामपुरा तहसील व जिला –टोंक

उपस्थिति –(1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स की ओर से
(2) श्री अशोक कासलीवाल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स की ओर से

<u>निर्णय</u> **दिनांक 27–1–2021**

1– 'अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 तहसीलदार टोंक ने अपीलान्ट के पिता भंवरसिंह [illegible] जाति [illegible] (राठोड) की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख. नं. 140 रकबा 18 बि[illegible] ग्रा[illegible] निमोला तहसील टोंक का विरासत का नामान्तकरण सं. 1261 [illegible] कर दिया, जिसे निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

2— प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षीगण जरिए नोटिस की गई। विवादित भूमि से सम्बन्धित नामान्तरकरण की प्रति गई। प्रतिपक्षीगण के अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने से अभिभाषक प्रार्थीगण की वहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा लिखित वहस प्रस्तुत की गई।

3— प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि—विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित हाने से चलने योग्य नहीं है तथा ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा ग्राम निमालो भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत (राठौड) के स्थान पर उनके जायज वारिसान अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक किये जाने के लिये आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। क्योंकि कि ग्रम निमोला में दो भंवरसिंह थे जिनके पिता के नाम समान अर्थात नन्दसिंह है, अपीलान्टस के पिता भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह पुत्र जाति राजपूत जो राठोड थे तथा दूसरे भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत (नरूका) थे, ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा ग्राम निमोला अपीलान्ट के पिता भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह राजपूत राठौड को आवंटित की गई थी जिनको पहले गैर खातेदारी व बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये है, इस भूमि से रेस्पोडेन्टस के पिता का या रेस्पोडेन्टस का कोई लेना—देना किसी प्रकार का नहीं है इस पर पहले अपीलान्टस के पिता का तथा उनके देहान्त के बाद से लेकर कब्जा काश्त अपीलान्टस का मौके पर चला आ रहा है। ग्रम निमोला में दोनों भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह के नाम अलग—अलग खातेदारी में भूमियां थी जिनको जमाबन्दीया भी अलग—अलग है परन्तु दोनों के नाम समान होने से ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा का नामान्तरकरण भी भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत (नरूका) की अन्य भूमि किता 5 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा व ख. नं. 1118 की भूमि के साथ—साथ ख. नं. 140 रकबा 18 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण भी रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 8 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जब कि ख. नं. 140 अपीलान्टस के पिता की भूमि है इस कारण उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्टस के पक्ष में स्वीकार किया जाना चाहिए।

4— अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा यह भी तर्क दिया कि उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्टस को सुना नहीं गया है एवं किसी प्रकार जांच नहीं की गयी है परन्तु जमाबन्दीयों में खातेदारान के नाम व पिता के नाम समान होने से त्रुटिवाश नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टस के नाम तस्दीक किया गया है जब कि रेस्पोडेन्टस नं. 2 ता 8 का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है अपीलान्टस को पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु कुछ दिन पहले रेस्पोडेन्टस सं. 2 ता 8 द्वारा नाजायज रूप से अपीलान्टस को बेदखल करने व भूमि को बिना किसी अधिकार के अन्य के हक में अन्तरण करने की धमकी देने पर राजस्व रिकोर्ड की जानकारी करवाकर नकल निकलवाकर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना—पत्र अलग से पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सं0 1261 ख0 नं0 140 रक्बा 18 बिस्वा वाके ग्राम निमोला तह0 टोंक को हद तक निरस्त किया जावे।

5— अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील वास्तविक तथ्यों को छुपा कर मनगंढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने पिता का नाम भँवरसिंह पुत्र नन्दसिंह होने के आधार पर बिना शजरे व बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रस्तुत की गई है यदि अपीलान्ट ... अपने नाम की एंव अपने पिता के नाम की अन्य खातेदारी की भूमि का विवरण और ... का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत कर देते तो उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती ... माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आशय से अस्पष्ट ... प्रकट करते हुए उक्त अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:22 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का यह दायित्व था कि उक्त नामान्तरकरण क्या रेस्पोडेण्ट्स के पिता की मृत्यु बाबत खुला है या अपीलान्ट के पिता की मृत्यु बावत ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने बहस में यह भी अंकित किया कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 28–1–2013 को खोला गया नामा0 सं0 1261 आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 18 बिस्वा ग्राम निमाला का फोती का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के पिता भॅवरसिंह पुत्र नन्दसिंह का है, रेस्पोडेण्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 5–2–2012 को हुई है, जिसका फोती नामान्तरकरण दिनांक 28–1–2013 को खोला गया है, जबकि अपीलांट्स की पिता की मृत्यु तो लगभग 30–40 वर्षों पहले हो चुकी तो 30–40 वर्षों पहले हुई मृत्यु का नामान्तरकरण किस आधार पर अपने पक्ष में करवाना चाहते है, ओर रेस्पोडेट्स के पिता भॅवरसिंह व उनके भाई मदनसिंह की खातेदारी में अन्य भूमि ख0 नं0 104,107,160,1354,1383,1561, भी थी जिसका संयुक्त भूमि का अंकन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संम्वत 2063 में अंकित है, उक्त सभी खातेदारी की भूमि के साथ खसरा नम्बर 140 रकबा 18 बिस्वा का भी सम्मिलित में अंकन है। रेस्पोडेण्ट्स के पिता ने उक्त भूमि पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोकं से दिनांक 12–1–2008 को रहन रख कर ऋण राशि प्राप्त की है जबकि अपीलान्ट्स के पिता तो वर्ष 2008 में जीवित ही नहीं थे तो फिर किस प्रकार से अपीलान्ट्स के पिता की उक्त भूमि खातेदारी में होना संभव है।

6– अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया कि रेस्पोडेट्स के पिता भॅवरसिंह के दादा का नाम कालूसिंह था जबकि अपीलान्ट्स के पिता भॅवर के के दादा का नाम केसरसिंह था जिसका भी रेस्पोडेट्स द्वारा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया ह, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स केक पिता की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 135,137,138,139 दर्ज थी जो उनके पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई और अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का बेचान दिनांक 5–7–1982 को किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया अर्थात उनकी खातेदारी की भूमि जो उनको प्रापत हुई है, उसका बेचान तो वह कर चुके हैं, जिसकी भी नकलें रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई हैं यदि खसरा नम्बर 140 की खातेदारी अपीलान्ट्स के पिता की होती तो वह भूमि भी अपीलान्ट्स के खाते में अन्य भूमि के साथ नामान्तरकरण खुल चुका होता। लेकिन उक्त खसरा नम्बर का वास्तविक रूप से आज तक अपीलान्ट्स व उसके पिता का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है जबकि रेस्पोडेण्ट्स उक्त भूमि पर वर्तमान में खातेदार एंव काश्तकार है ओर आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं। इन समस्त तथ्यों एंव प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेण्ट्स के पिता ही उक्त भूमि के खातेदार थे ओर उनकी मृत्यु के बाद विधिक रू से रेस्पोडेण्ट्स के नाम जरिए फोती नामान्तरकरण कानूनन रूप से तथ्यात्मक रूप से खोला गया है। अतः अपीलान्ट की अपील मय हर्जा खार्चा खारिज किया जावे।

7– अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस को सुना एंव रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि खसरा नम्बर 140 रमकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम निमोला फोती का नामा0 सं0 1261 दिनांक 28–1–2013 भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह की मृत्यु [illegible] उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। अभिभाषक अपीलान्टस का [illegible] कि उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को नहीं सुना गया है एवं [illegible] प्रकार की जांच नहीं की हैं, जमाबन्दियों में खातेदारन के नाम व पिता के [illegible] समान होने से त्रुटिवंश नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट के नाम तस्दीक किया गया है। [illegible]पीलान्ट्स द्वारा अपने कथनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अतः तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तरकरण सं0 1261 दिनांक 28–1–2013 विधि अनुसार स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 1261 दिनांक 28–1–2013 वाके ग्राम निमोला तहसील टोंक यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27–1–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner